न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 422/2016 एवं 178/2017

1. सुखदेव पुत्र गोरू
2. भूरी लाल
3. नानगाराम — पुत्रान नारायण — समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासियान ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. दूलीचन्द

–अपीलान्ट्स–

बनाम

1. रामचन्द्र
2. रामकरण — पुत्रान नाथू, जाति जाट, निवासियान ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. सूजीलाल
4. भंवरलाल
5. उप–पंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान।
6. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री निर्मल कुमार जैन अपीलांट्स की ओर से।

2– श्री शिशुपाल जाट रेस्पोडेंट्स की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 21–12–2017

1– उक्त दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16–06–2016 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 07–02–2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, मु.सं. 142/2014 उनवानी रामचन्द्र वगैरह बनाम सुखदेव वगैरह प्रस्तुत की गई है। एक ही प्रकरण से संबंधित होने के कारण दोनों का निर्णय एक साथ किया जा रहा हैं।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 1 ल0 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मनोहरियावाला तहसील सांगानेर में स्थिति कृषि भूमि खाता संख्या 79 कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 हैक्टै0 के वादीगण 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 4 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। जिस पर मनबट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त है परन्तु भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। इसलिए वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 16–6–2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा दिनांक 07–02–2017 को अन्तिम डिक्री पारित की गई जिनके विरूद्ध उपर्युक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

3– अपीलार्थीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलान्टस को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उक्त डिक्री राजस्व लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। तथा कैम्प में सिर्फ राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित किया जा सकता है परन्तु न्यायालय में इस सिद्धान्त की अवहेलना की गई हैं। न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के मात्र कब्जे के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये गये हैं जबकि तकास्में में बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा करना होता हैं स्वयं वादीगण ने भी अपने वाद में यही अनुतोष चाहा गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित करते समय अपीलान्ट्स की ओर से अपीलान्ट् संख्या 1 के पुत्र की उपस्थिति दर्ज की गई है जबकि वह उस समय कैम्प में उपस्थित नहीं था। न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में तथा जवाब देने के अवसर प्रदान किये बगैर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट्स द्वारा निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 07–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में कथन किया गया है कि प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री की अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 422/2016 प्रस्तुत कर दी गई थी। तथा न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–7–2016 द्वारा प्राथमिक डिक्री की क्रियान्विति स्थागित कर दी गई थी। वादीगण द्वारा इस तथ्य को छुपाते हुए तथा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवाते हुए तहसीलदार सांगानेर से कुरेजात रिपोर्ट मंगवा ली गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने कुरेजात रिपोर्ट अनुसार दिनांक 07–02–2017 को अन्तिम डिक्री पारित कर दी गई जो कि निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री नीरज चौधरी लगातार हाजिर होते रहे हैं फिर भी न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में ला दी गई जो कि अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुरेजात रिपोर्ट पर बहस सुनना बताकर दिनांक 07–02–2017 को निर्णय पारित करना लिखा है जबकि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को उसी दिवस प्रकरण में पारित स्थगन आदेश के बारे में अवगत करवा दिया था। अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार सांगानेर दोनों को प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन के बावजूद अन्तिम डिक्री पारित की दी गई जो कि निरस्तनीय

हैं खसरा नम्बर 105 पर अपीलार्थीगण का कब्जा है परन्तु कुरेजात में उक्त नंबर रेस्पोडेंट्स को दे दिया है। अपीलार्थीगण द्वारा उपर्युक्त कथन कर निर्णय व डिक्री दिनांक 07–02–2017 को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4– अपील क्रम संख्या 422/2016 व 178/2017 पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि पत्रावली जवाब दावे में नियत थी फिर भी दिनांक 16–6–2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की दी गई। प्राथमिक डिक्री की पालना अपील के अन्तर्गत दिनांक 18–7–2016 को न्यायालय हाजा द्वारा स्थागित कर दी गई थी। इसके बावजूद भी दिनांक 07–02–2017 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी गई। अतः अपील स्वीकार की जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेंट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि प्राथमिक डिक्री उभय पक्ष की सहमति से जारी की गई है। दिनांक 10–01–2017 को प्रतिवादीगण के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। दिनांक 07–02–2017 को प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी कर दिये जाने के पश्चात अपीलान्ट् द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्थगन आदेश के बारे में अवगत करवाया गया है। प्रकरण में कुरेजात रिपोर्ट भी तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश जारी करने से पूर्व ही प्रस्तुत की जा चुकी थी। अपीलान्ट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री तथा अन्तिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपीलो में किये गये कथनों में विरोधाभास है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं है अतः दोनों अपील निरस्त फरमाई जावे।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतार्पूवक अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–2016 के कैम्प कोर्ट हेतु उभय पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये थे जो कि पत्रावली में उपलब्ध है। उक्त नोटिस अपीलान्ट् संख्या 1 के पुत्र गिर्राज तथा अपीलान्ट् संख्या 2 स्वयं द्वारा प्राप्त किये गये हैं इसलिए अपीलान्ट् का यह कथन की उन्हें पत्रावली के कैम्प कोर्ट में रखे जाने बाबत् कोई सूचना नहीं दी गई, असत्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16–6–2016 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा उक्त दिवस को ही कैम्प के दौरान वादग्रस्त भूमि के विभाजन हेतु कुरेजात प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये हैं। अपीलान्ट्स द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में ये आपत्तियां ली गई है कि उन्हें कैम्प कोर्ट के संबंध में सूचित नहीं किया गया है, केवल कब्जे के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं जबकि मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन किया जाना चाहिए था तथा अपीलान्ट्स की गैर मौजूदगी में व जवाब का अवसर दिये बगैर प्राथमिक डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

जारी की गई है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त आपत्तियों का कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। कैम्प कोर्ट से पूर्व अपीलान्ट्स को सूचित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र जिसने नोटिस भी प्राप्त किया था, के द्वारा सशर्त सहमति दिये जाने का कथन भी किया गया है। अपीलान्ट्स की ओर से दिनांक 23–2–2016 को अधिवक्ता श्री नीरज चौधरी उपस्थित हो जाने के बावजूद प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार यह कहना अनुचित है कि अपीलान्ट्स को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। वादीगण द्वारा अपने वाद में कथन किया गया है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर मनबट के आधार पर विभाजन किया हुआ है तथा तदनुसार ही पक्षकारान् काबिज काश्त है, प्रतिवादीगण द्वारा इस कथन पर कोई आपत्ति जवाब दावा प्रस्तुत कर नहीं की गई है इसलिए न्यायालय द्वारा कब्जा काश्त के आधार पर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के दिये गये निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से अपीलार्थीगण द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में कोई विधिक बल निहित नहीं है तथा यह स्वीकार योग्य नहीं है। जहां तक अन्तिक डिक्री दिनांक 07–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील का प्रश्न है इसमें अपीलार्थीगण द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्तियां ली गई है कि उनकी ओर से अधिवक्ता श्री नीरज चौधरी लगातार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के बावजूद एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है, स्थगन आदेश के बावजूद अन्तिम डिक्री पारित की गई है तथा खसरा नम्बर 105 अपीलार्थीगण के कब्जे में होने के बावजूद रेस्पोडेंट्स को दे दिया गया है। उपर्युक्त आपत्तियों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 10–1–2017 को उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किये गये हैं तथा पत्रावली को वास्ते बहस कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 17–1–2017 को नियत किया गया है इसके पश्चात् 31–01–2017 तथा 07–02–2017 को प्रकरण पेशी में लिया गया है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा इस दौरान एकतरफा कार्यवाही निरस्त किये जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। यहां तक कि अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 18–7–2016 के बारे में भी अवगत करवाया गया हो इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा एक तरफ किया गया यह कथन कि उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगातार उपस्थित होते रहे हैं तथा एक तरफ यह तथ्य कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन आदेश की कोई प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई हैं, अपीलार्थीगण के आचरण को सन्देहास्पद साबित करता है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो तथ्य छुपाये जाने की परिभाषा में आता है। प्रकरण में प्रस्तुत की गई कुरेजात रिपोर्ट

के साथ सलंग्न नक्शे के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट होता है कि उभय पक्षकारान् को कब्जे काश्त के आधार पर दी गई भूमि में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स का भी कोई सारभूत अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता है। उभय पक्ष को दी गई भूमि एकमुश्त (Compact) है तथा अपीलार्थीगण द्वारा भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है जिससे कि भूमि के बाजार मूल्य में कोई सारभूत अन्तर हो। उपर्युक्त विवेचन से अपीलार्थीगण द्वारा अन्तिम डिक्री दिनांक 07–02–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील में लिये गये आधारों में कोई विधिक बल निहित नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8– अतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16–06–2016 एवं निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 07–02–2017 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 21–12–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर